



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15042026-271792
CG-MH-E-15042026-271792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1807]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948

No. 1807]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 13 अप्रैल, 2026

का.आ.1876(अ).—चूंकि भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या 1884 दिनांक 29.04.2025 (भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित) (आगे "उक्त अधिसूचना" कहलाएगी) द्वारा, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20क की उपधारा (1) के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने का अपना अभिप्राय घोषित किया था, ताकि विशेष रेलवे परियोजना के क्रियान्वयन, रखरखाव, प्रबंधन एवं संचालन के लिए, उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य में जिला वडोदरा में पश्चिम रेलवे पर वडोदरा डिवीजन के वडोदरा-गेरतपुर खंड के बीच किमी 401/24-26 पर एल सी नंबर 238 के बदले में 2 लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है;

और, जबकि उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अंतर्गत दिनांक 06 मई 2025 को दैनिक स्थानीय गुजराती समाचार पत्र "दिव्या भाकर", दिनांक 06 मई 2025 को, हिंदी समाचार पत्र "वडोदरा सौराष्ट्र" और दिनांक 06 मई 2025 को अंग्रेजी समाचार पत्र "द इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड को उप.धारा (1) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिद्विष्ट भूमि पूर्वाक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिद्विष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर अनन्य रूप से केंद्रीय सरकार में निहित होगी।

विषय: विशेष रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (संरचना सहित या बिना संरचना के), अर्थात् —"पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के वडोदरा-गेरतपुर खंड के बीच कि.मी. 401/24-26 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 238 के स्थान पर दो लेन के रोड ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) का निर्माण", जो गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में स्थित है, जैसा कि डी.आई.एल.आर. वडोदरा द्वारा तैयार की गई संयुक्त मापन पत्रक में दर्शाया गया है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में पश्चिम रेलवे पर वडोदरा डिवीजन के वडोदरा-गेरतपुर खंड के बीच किमी 401/24-26 पर एल सी नंबर 238 के बदले में 2 लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण नाम की विशेष रेल परियोजना के लिए संरचना के साथ या उसके बिना अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य : गुजरात

ज़िला: वडोदरा

क्र.सं.	गाँव	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	जमिन मालिक / रुचिकर व्यक्ति
तालुका : वरोदरा शहर (उत्तर)						
1	करोदिया	4	निजी	गैर कृषि	170	1. प्रजापति किशोरभाई धर्मशीभाई, 2. तुरखिया रमेशभाई पीतांबरभाई, 3. तुरखिया विनोदभाई पीतांबरभाई, 4. प्रजापति धर्मशीभाई नरसिंहभाई
2	करोदिया	105 P 1	निजी	कृषि	265	1. परमार रावजीभाई शनाभाई, 2. परमार शांताबेन ते भाईलाल शाना घुटने विधवा, 3. परमार गोविंदभाई भाईलालभाई स्व.वा.शांताबेन, 4. परमार अरविंदभाई भाईलालभाई स्व.वा.शांताबेन, 5. परमार जशोदाबेन भाईलालभाई एस.वी.ए. शांताबेन
3	करोदिया	106 P 1	निजी	गैर कृषि	825	शिवालिक रेजिडेंसी पार्टनरशिप फर्म की ओर से एडवोकेट पार्टनर पटेल अजयभाई शांतिलाल, अंकुर सुरेशचंद्र अग्रवाल

4	छानी	572/1	निजी	कृषि	37	अमीन राजेंद्रकुमार रमनलाल, प्रेम राजेंद्रकुमार अमीन
5	छानी	573	निजी	कृषि	29	1. शांताबेन रावजीभाई, 2. लीलाबेन रावजीभाई 3. प्रभातभाई रावजीभाई 4. मंगलभाई रावजीभाई 5. सगीर रमाबेन रावजीभाई 6. चतुरबेन रावजीभाई 7. मीनाबेन रावजीभाई एस.वी.ए.चतुरबेन रावजीभाई
कुल					1326	

[फा. सं. E. - 619627-05]

डी.आर .चौधरी, मुख्य परियोजना प्रबंधक/निर्माण-।

MINISTRY OF RAILWAYS**[Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Mumbai, the 13th April, 2026

S.O. 1876(E)—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) (Published in the Gazette of India, under notification No. 1884 of dated 29.04.2025 Extra Ordinary-part II- Section-3 -Sub-section (ii)) (here in after referred to as the said notification) under subsection(I) of section 20A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to be acquired the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the **CONSTRUCTION OF 2 LANE ROAD OVER BRIDGE (ROB) IN LIEU OF LC NO.238 AT KM 401/24-26 BETWEEN SECTION VADODARA-GERATPUR OF VADODARA DIVISION ON WESTERN RAILWAY** Project in District Vadodara in the State of Gujarat.

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily local Gujarati newspaper “DIVYA BHAKAR” dated 06TH May 2025, Hindi newspaper “VADODARA SAURASHTRA” dated 06TH May 2025 and English newspaper “THE INDIAN EXPRESS” dated 06TH May 2025 under subsection (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, no objection has been received by the competent authority.

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report of the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central government here by declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

Sub :- Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: **CONSTRUCTION OF 2 LANE ROAD OVER BRIDGE (ROB) IN LIEU OF LC NO.238 AT KM 401/24-26 BETWEEN SECTION VADODARA-GERATPUR OF VADODARA DIVISION ON WESTERN RAILWAY Project in District Vadodara in the state of Gujarat as per joint measurement sheet prepares by DILR VADODARA.**

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely : CONSTRUCTION OF 2 LANE ROAD OVER BRIDGE (ROB) IN LIEU OF LC NO.238 AT KM 401/24-26 BETWEEN SECTION VADODARA-GERATPUR OF VADODARA DIVISION ON WESTERN RAILWAY Project in the state of Gujarat.

State : GUJARAT

District : Vadodara

Sr. No.	Village Name	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be Acquire (in Sqm)	Name of Land Owner/ Interested Person
Taluka : Vadodara city (North)						
1	Karodiya	4	Private	Non Agriculture	170	1. Prajapati Kishorebhai Dharamshibhai, 2. Turkiya Rameshbhai Pitambarbhai , 3. Turkiya Vinodbhai Pitambarbhai, 4. Prajapati Dharamshibhai Narasimbhai
2	Karodiya	105 P 1	Private	Agriculture	265	1. parmar ravajibhai shanabhai, 2. parmar shantaben te bhailal shana knee vidhava, 3. parmar govindbhai bhailalbhai s.va.shantaben, 4. parmar arvindbhai bhailalbhai s.va.shantaben, 5. parmar jashodaben bhailalbhai s.va. shantaben
3	Karodiya	106 P 1	Private	Non Agriculture	825	On behalf of Shivalik Residency Partnership Firm, Advocate Partner Patel Ajaybhai Shantilal, Ankur Sureshchandra Agarwal.

4	Chhani	572/1	Private	Agriculture	37	amin rajendrakumar ramanlal, prem rajendrakumar amin
5	Chhani	573	Private	Agriculture	29	1. Shantaben Raojibhai, 2. Leelaben Raojibhai 3. Prabhatbhai Raojibhai 4. Mangalbhai Raojibhai 5. Sagir Ramaben Raojibhai 6. Chaturben Raojibhai 7. Meenaben Raojibhai S.V.A.Chaturben Raojibhai
TOTAL					1326	

[F. No. E. - 619627-05]

D.R. CHAUDHARY, Chief project Manager/Construction-I